7 (236)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 03/2011–12

जेठा हेम्ब्रम .....अपीलकर्ता

बनाम

मिश्रा सोरेन, प्रधान एवं अन्य .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

26/04/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 03/2011–12 जेठा हेम्ब्रम बनाम् मिश्रा सोरेन, प्रधान एवं अन्य, मौजा बाघमारा, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 70/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

उत्तरकारी काफी समय से न्यायालय में अनुपस्थित है। फलतः उनके ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के दाग सं0 237 गत सर्वे सेटेलमेंट में गड़हा बोलकर दर्ज है। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त जमींन का बन्दोबस्ती हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा भी उनके साथ बन्दोबस्ती का अनुशंसा किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 27 एवं 28 में गडढा बोलकर दर्ज जमींन को बन्दोबस्ती करने का कही स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

इसपर अपीलकर्त्ता के विद्धान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त जमींन को धानी के रूप में खंडित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा भी बन्दोबस्ती का अनुशंसा किया गया है एवं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होने यह भी कहा है कि सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 36 में गडढा बन्दोबस्ती पर किसी प्रकार मनाही (Debar) नहीं हैं ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के आवेदन स्वीकारणीय है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी द्वारा उक्त जमींन को अपीलकर्त्ता के साथ बन्दोबस्ती करने का अनुशंसा किया गया है। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि अपीलकर्त्ता को अपनी निजी जमींन 12 बीघा 02 कठ्ठा हैं निम्न न्यायालय में उत्तरकारी द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन में उल्लेख है कि प्रश्नगत जमींन तत्कालीन प्रधान गौरा सोरेन द्वारा 22 बैशाख 1359 बंगला साल में लूधिया सोरेन के साथ पट्टा बन्दोबस्ती किया है एवं

उनके द्वारा उक्त जमींन को खंडित कर जोत आबाद किया जा राह है किन्तु उनके द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन गत सर्वे में गडढा बोलकर दर्ज है। सं0प0 काश्तकारी अधिनियम में सिर्फ परती/फौती जमींन की ही बन्दोबस्ती का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में गडढा की बन्दोबस्ती की स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।